A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– **श्री घनश्याम शर्मा**
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
148/प्रा.पत्र/2022	18.10.2022	02.07.2024

सरकार जरिये तहसीलदार, नैंनवा।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप आ. स्व. नैनगा जाति रेगर निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. बाबू आ. स्व. नैनगा जाति रेगर निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. मनभर पत्नि स्व. नैनगा जाति रेगर निवासी गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार नैंनवा ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के पिता को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 224 वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया आवंटन आदेश दिनांक 27.12.1978 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

बहस पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि खसरा संख्या 224 वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा नैनगा आ. मन्ना रेगर को दिनांक 27.12.1978 को आंवटन हुई थी। आवंटित भूमि नैनगा की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में रामस्वरूप, बाबू आ. नैनगा एवं मनभर पत्नि स्व. नैनगा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा हैं। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया हैं। अतः अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन खसरा संख्या 224 वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया आंवटन आदेश दिनांक 27.12.1978 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

AG 2

अप्रार्थीगण रामस्वरूप, बाबू आ. स्व. नैंनवा व मनभर पत्नि स्व. नैनगा रेगर स्वयं उपस्थित, जिन्होनें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि संबंधित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा हमारे पिता नैनगा के नाम आंवटित हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद हम वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो गई हैं। इस भूमि पर हमारे पिता एवं हम वारिसान का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं और न ही काश्त करना चाहते हैं। यदि इस भूमि से हमारी खातेदारी खारिज कर दी जाती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जाकाश्त हैं। इन तथ्यों के आधार पर हमारी शिनाख्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 27.12.1978 को निरस्त किया जावे।

हमने बहस पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पिता नैनगा आ. मन्ना रेगर ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा को आराजी खसरा संख्या 224 वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा को आवंटन आदेश दिनांक 27.12.1978 से भूमि का आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से तहसीलदार नैंनवा द्वारा आवंटन खारिज हेतु प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण का भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार अब तक प्रदान नहीं किये गये हैं। अप्रार्थीगण ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्वीकार किया हैं कि आवंटित भूमि पर उनका कब्जाकाश्त नहीं हैं, जिससे प्रथमदृष्ट्या यह जाहिर होता हैं कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 224 वर्तमान खसरा संख्या 842/224 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 27.12.1978 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बून्दी